



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 75 / 2026

विमल किशोर

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सचिव, राजस्व विभाग, लखनऊ
एवं 5 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – अरविन्द कुमार

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, लक्ष्मण सिंह, मोहन सिंह

न्यायालय संख्या – 17

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अरविंद कुमार, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री अनिल कुमार कुशवाहा, विपक्षी संख्या 4-गाँव सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहन सिंह के वाद-धारक अधिवक्ता श्री गोविंद कुमार चौरसिया, और विपक्षी संख्या 5 की ओर से उपस्थित हुए अधिवक्ता श्री लक्ष्मण सिंह को सुना, जिन्होंने अपना वकालतनामा दाखिल किया है जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।
2. जनहित में दायर इस याचिका द्वारा याचिकाकर्ता ने विपक्षी संख्या 1 से 4 को तहसील- हैदरगढ़, परगना- सिद्धौर, जनपद- बाराबंकी के ग्राम सभा बीबीपुर में स्थित गाटा संख्या 856, क्षेत्रफल 0.0100 हेक्टेयर, गाँव सभा की बंजर भूमि पर विपक्षी संख्या 5 द्वारा किए जा रहे अवैध खनन पर कार्रवाई करने हेतु निर्देश जारी करने की मांग की है।
3. उपजिलाधिकारी, हैदरगढ़, जनपद बाराबंकी द्वारा प्रदान किए गए लिखित निर्देशों के आधार पर विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने सूचित किया है कि एक निरीक्षण किया गया है जिसमें यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विपक्षी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

संख्या 5 ने 108 घन मीटर का अवैध खनन किया है और इस कृत्य के लिए उसके विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु एक रिपोर्ट पहले ही भेजी जा चुकी है। निर्देशों को अभिलेख पर दर्ज किया जाता है।

4. तदनुसार, विपक्षी संख्या 1 से 4 को यह निर्देश जारी करते हुए इस याचिका का निस्तारण किया जाता है कि वे विपक्षी संख्या 5 द्वारा किये गए अवैध खनन गतिविधि के संबंध में दिनांक 02.02.2026 के निर्देशों में उल्लिखित रिपोर्ट के अनुपालन में विधि के अनुसार तत्परतापूर्वक उचित कार्रवाई करें।

9 फरवरी, 2026

राम

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)